हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 13, मार्च, 2008

संख्या वैब 2 /ह0अ0 6 /2003/धा0 59/2008.— संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन के प्रारुप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव,हरियाणा सरकार, आबकारी व कराधान विभाग, चण्डीगढ, द्वारा संशोधन प्रारुप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

संशोधन प्रारुप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में.—

(i) अनुसूची ख में, क्रम संख्या 4 तथा इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम जनवरी, 2006 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

'' 4 जीव आहार अर्थात् जलीय जीव आहार, कुक्कट आहार तथा पशु आहार (किन्तु इसमें क्षतिग्रस्त गेहूॅ शामिल नहीं है), जिसमें शामिल है इन आहारो के अनुपूरक, सान्द्र तथा योज्य, दालों का भूसा और डीआयल्ड केक (जिसमें डीआयल्ड राइस ब्रॉन शामिल हैं) '' ;

(ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 98 तथा इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम जनवरी, 2006 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

'' 98 मैदा, सूजी सहित गेहूॅ आटा, चावल का आटा, चने का आटा, बेसन, जौ घाट, जौ का आटा तथा सत्तू, गेहूॅ या जौ का दलिया, क्षतिग्रस्त गेहूॅ, राजमा, लोबिया, रौंगी, सेगो (साबू दाना), सोयाबीन मील, सोयाबीन का आटा ।''

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग।